



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1930 (श10)
पटना, शुक्रवार, 6 मार्च 2009

सं0-वि.प्रा.(1)न2-22/08-244
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

13 फरवरी 2009

विषय :- विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य तथा विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति गुणागुण यथा साक्षात्कार एवं शैक्षणिक योग्यता, के आधार पर करने के लिए मापदण्ड निर्धारित करने के संबंध में।

विभागान्तर्गत सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता/वरीय व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/प्राध्यापक/प्राचार्य आदि के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशीप) के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अधीन होती है।

2. उक्त संस्थानों में प्राचार्य तथा विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिए अभातशीप द्वारा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सेवा शर्तों यथा संवर्गीय संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता इत्यादि का निर्धारण अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए क्रमशः विभागीय संकल्प संख्या-1995 दिनांक 30.12.2003 तथा संकल्प संख्या-वि. (02) दिनांक 02.01.2003 द्वारा किया गया है। उक्त वर्णित संकल्पों के अनुसार सभी संवर्गीय पदों पर नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर किये गए विज्ञापन से गुणागुण के आधार पर खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जानी है।

3. पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाती रही है। परन्तु इस हेतु अंक विभेद पूर्व से निर्धारित नहीं है। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3355 दिनांक 03.12.2008 द्वारा तदनुसार साक्षात्कार तथा शैक्षणिक अर्हता के लिए अंको का विभेद एवं शैक्षणिक अर्हता के अधीन अलग-अलग अंको का विभाजन संबंधी मापदंड की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में उपर्युक्त वर्णित पदों पर साक्षात्कार एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए अंको का विभेद निम्न प्रकार से करने का निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	साक्षात्कार	कुल
1	अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य	60 (साठ)	40 (चालीस)	100 (सौ)
2	अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में विभागाध्यक्ष एवं वरीय व्याख्याता	70 (सत्तर)	30 (तीस)	100 (सौ)
3	अभियंत्रण महाविद्यालयों में तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता	80 (अस्सी)	20 (बीस)	100 (सौ)

5. उपर्युक्त कडिका-4 में अंकित तालिका के क्रमांक-1, 2 एवं 3 में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित अंक का विभाजन विभिन्न परीक्षाओं के लिए तथा साक्षात्कार के लिए अंक का विभाजन विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के लिए क्रमशः अनुलग्नक-1, 2 एवं 3 के रूप में संलग्न विवरणी के अनुसार होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
श्रीकृष्ण त्रिपाठी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 56-571+500-डी0टी0पी0।